रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255068
CG-DL-E-02072024-255068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2384]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2024/आषाढ 10, 1946
No. 2384]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ASHADHA 10, 1946

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2024

का.आ. 2513(अ).—केंद्रीय सरकार, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजनों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), संख्यांक का. आ. 21 (अ),तारीख 12 जनवरी,1981 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती हैः-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) "धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन नियुक्त" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 5 और 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"5. आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी), कोच्ची कमिश्नरेट, सी. आर. भवन, आई. एस. प्रेस रोड, कोच्ची-682018।	भारत सरकार, राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य

“6. निदेशक, कीमत प्रबंधन विभाग (पीएमडी), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।	भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य”;

(ii)“धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (छ) के अधीन नियुक्त” शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 7 और 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

“7. सरकार के विशेष सचिव, कृषि और किसान कल्याण विभाग, केरल सरकार, कमरा नं. 102, प्रथम तल, सरकार सचिवालय, पलायाम, तिरुवंतपुरम, केरल।	केरल राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
“9. सरकार के प्रधान सचिव या सचिव, उद्यान कृषि और रेशम उत्पादन विभाग, चौथा तल, तीसरा गेट, एम. एस. भवन, डॉ. अंबेडकर रोड, अंबेडकर वीधी, बेंगलुरू, कर्नाटक-560001।	कर्नाटक राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य”;

(iii) “धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ज) के अधीन नियुक्त” शीर्षक के अधीन क्रम संख्यांक 13, 16, 18 और 19 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“13. सचिव, कृषि विभाग, बिहार राज्य, पटना, बिहार	बिहार राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
16. कृषि उत्पादन आयुक्त या सचिव, छत्तीसगढ़, कृषि विकास और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़-492002	छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
18. अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव कृषि या उद्यान कृषि विभाग, ब्लॉक नं.-5/प्रथम तल, सरदार भवन, सचिवालय, सेक्टर 10 (ए), गांधीनगर, गुजरात- 382010	गुजरात राज्य की सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य
19. सचिव, कृषि, नागालैंड सरकार, कृषि विभाग, कोहिमा, नागालैंड	नागालैंड राज्य की सरकारका प्रतिनिधित्व करने के लिए	सदस्य”।

[फा. सं. 4-25/2017-एमआईडीएच (सीडीबी) भाग-II]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 21(अ), तारीख 12 जनवरी, 1981 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2354(अ), तारीख 29 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2024

S.O. 2513(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Central Government hereby appoint the following as the members of the Coconut Development Board, for a period not exceeding three years from the date of publication of this notification in the official Gazette and for the said purposes, make the following further amendment in the notification of the Government of India, erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub-section (ii), *vide* number S.O. 21 (E), dated the 12th January, 1981, namely: -

In the said notification, -

(i) under the heading "Appointed under clause (f) of sub-section (4) of section 4", for serial numbers 5 and 6 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

"5.	Commissioner, Central Goods and Services Tax (CGST), Kochi Commissionerate, C.R. Building, I.S. Press Road, Kochi-682018.	To represent the Department of Revenue, Government of India	Member
"6.	Director, Price Management Division (PMD), Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi.	To represent the Department of Consumer Affairs, Government of India	Member";

(ii) under the heading "Appointed under clause (g) of sub-section (4) of section 4"for serial numbers7 and 9 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

"7.	Special Secretary to Government, Agriculture and Farmers' Welfare Department, Government of Kerala, Room No 102, 1st Floor, Government Secretariat, Palayam, Thiruvananthapuram, Kerala.	to represent the Government of the State of Kerala	Member
9.	Principal Secretary or Secretary to Government, Horticulture and Sericulture Department, 4th Floor, 3rd Gate, M.S. Building, Dr. Ambedkar Road, Ambedkar Veedhi, Bengaluru, Karnataka-560001.	To represent the Government of the State of Karnataka	Member";

(iii) under the heading "Appointed under clause (h) of sub-section (4) of section 4"for serial numbers13, 16, 18 and 19 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

"13.	Secretary to the State of Bihar, Agriculture Department, Patna, Bihar	to represent the Government of the State of Bihar	member
16.	Agriculture Production Commissioner or Secretary to the Chhattisgarh, Department of Agriculture Development and farmers	to represent the Government of the State of Chhattisgarh	Member

	Welfare and Bio-Technology, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhavan, Nawa Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh-492002.		
18.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary or Secretary Agriculture or Horticulture Department, Block No. -5/1st Floor, Sardarbhavan, Sachivalaya, Sector-10(A), Gandhinagar, Gujarat-382010	to represent the Government of the State of Gujarat	member
19.	Secretary, Agriculture, Government of Nagaland, Agriculture Department, Kohima, Nagaland.	to represent the Government of the State of Nagaland	member".

[F. No. 4-25/2017-MIDH (CDB) Pt-II]

PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 21 (E), dated the 12th January, 1981 and was last amended *vide* notification number S.O. 2354(E), dated the 29th May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.07.02 11:19:51 +05'30'